

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉबी के पत्रांक DHESec 2/ संबंधन -27/2020/HTESD 988 दिनांक 04.05.2023 के आलोक में रॉची विश्वविद्यालय अन्तर्गत 23 बी०एड० महाविद्यालयो एवं 01 एम०एड० महाविद्यालय को पाठयकम में शैक्षणिक सन्न 2023-2025, 2024-2026 एवं 2025-2027 के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ अखायी संबंधन दीर्धीकरण पर स्वीकृति प्रदान की गई एंव एन०एन०घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जमुआर, कॉके, रॉची के प्रस्ताव को स्थागित रखा गया है-

奪0	महाविद्यालय का नाम	रात्र	विषय	समिति की अनुशंसा		
1	आराटी0सी0 बी०एड0 कॉलेज, बुटी, रॉची	सत्र 2023-2025, 2024-2026 ,2025-2027	ਸੀ0एਫ0	स्वीकृत		
2.	जे०डी० नेशनल बी०एड० कॉलेज. जानुम, अनगड़ा रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, बी 2025-2027		स्वीकृत		
3	संघभित्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मनातु, ओरमांझी, रॉची	सत्र 2023-2025, 2024-2026, 2025-2027	ৰী০एড০	रवीकृत		
4	बेधेसदा वीमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰী0एड0	रयीकृत		
5.	कैभ्रिज इन्स्टीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन टाटीसिल्वे, रॉची	सत्र 2023-2025, 2024-2025, 2025-2027	ৰী0एड0	स्वीकृत		
6	फतमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, दुबलिया, चन्दवे, कॉके, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	মী০एড০	स्वीकृत		
7	मदर जीरामनी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ओरमांझी, रॉची	सत्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027				
8	भारथी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कन्दरी मांडर, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	যী০एড০	स्वीकृत		
9	जसपुरिया बी०एड० कॉलेज, अनगड़ा, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰ্যা০एড০	स्यीकृत		
10	समर्पण दीप बी०एड० कॉलेज, उषामातु, रातु, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰী০एড০	स्वीकृत		
11	आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदतूम, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰী০एড০	स्वीकृत		
12	सतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एण्ड एजुकेशन तुपूदाना, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰী০एড০	स्वीकृत		
13	मोती राज देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, साण्डी ओरमंाझी, रॉची	सत्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	ৰী০एड০	स्वीकृत		
14	संत जेवियर्स कॉलेज, रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	থী০ তেওঁ০	स्वीकृत		
15	शहीद शेख भिखारी कॉलेज, ऑफ एजुकेशन पिठोरिया, कॉके रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰী০एড০	स्वीकृत		
16	मनरखन महतो बी०एड० कॉलेज, केदल बी०आई०टी० मोड़ रॉची	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	एम०एड०	स्वीकृत		
17	पटेल बी०एड० कॉलेज, काटमकुकु, लोधमा खूंटी	सत्र 2023-2025,2024-2026, 2025-2027	ৰী০एড০	स्वीकृत		
18	मनरखन महतो बी०एड० कॉलेज, केदल बी०आई०टी० मोड़ राँची	सत्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	ৰী০एড০	स्वीकृत		
19	शाखत. इन्स्टीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ओरमंग्री रॉची	सत्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	ৰী০ ডেব্ৰ০	स्वीकृत		
20	एन०एन० घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जमुआर, कॉके, रॉची	सत्र 2023—2025, 2024—2026,2025—2027	ৰী০एন্ত০	विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023-2025 से संबंधन नहीं प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । संबंधन रद करने हेतु statute की कंठिका-10 में विहित प्रावधानों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किए जाने संबंधी साध्य की अनुपलब्धता थे कारण प्रस्ताव स्थगित रखा जा रहा है।		
	श्री राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, प्रेमनगर, पिरका नगरी राँची	सत्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	খীতত্ত্বত	स्वीकृत		
2	अभिराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टिको, कुडू लोहरदगा	रात्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	মী০एড০	स्वीकृत		
23	शाईन-अब्दुल रज्जाक अंसारी इन्सटीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, ईरवा राँची	सन्न 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	<u>ৰী</u> ০एड०	स्वीकृत .		
4	उर्सुलाईन विमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लोहरदगा	सत्र 2023-2025, 2024-2028,2025-2027	মী০एড০	स्वीकृत		
25	उदय मेमोरियाल बी०एड० कॉलेज, केदल, नेवरी, रॉंची	सत्र 2023-2025, 2024-2026,2025-2027	খী০एড০	स्वीकृत		

- 2. शर्ते:-
 - i. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
 - ii. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शतौं का अनुपालन सुनिक्षित करेगा।

iii. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वार्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिक्ष्वित करेगा।

- . जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्धीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीन के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विमाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्म की जाएगी।
- iv.
- विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापवंड के अनुरूप व्यवरथा नहीं पाये जाने पर संबद्वता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पत्रांक भ ह 1552 प्रतिलिपि-

- 1. रॉची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी 24 बी०एड० एंव 01 एम०एड० महाविद्यालयों को सूचनार्थ।
- 2. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची
- 3. परीक्षा नियंत्रक, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची,
- प्रो0–इन–चार्ज, टेबुलेशन सेंटर, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची,
- उप-कुलसचिव-I, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची,
- ठप–कुलसचिव –II, पंजीयन शाखा, रॉची विश्वविद्यालय,रॉची.
- कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

8/-कुलसचिव रॉची विश्वविद्यालय,रॉची Gria 20.5-2023

out 20.5.23

कुलसविव रॉची विश्वविद्यालय, रॉची

(Translated copy of Affiliation letter)

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

Notification

Director, Higher Education, Department of Higher and Technical Education, Govt. of Jharkhand, Ranchi with reference to letter no. DHESec 2/Affiliation – 27/2020/HTESD 988, Dated 04/05/2023, 23 B.Ed. Colleges and 01 M.Ed. College under Ranchi University have been approved for extension of temporary affiliation in the course for the academic session 2023-2025, 2024-2026 and 2025-2027 with the following conditions –

S1.	College N	ame		Session		Subject	Recommendation of
No							Committee
11.	Aditya	Prakash	Jalan	Session	2023-2025,	B.Ed.	Accepted
	Teachers	Training	College,	2024-2026,	2025-2027		
	Kudlum, Ranchi						

2. Conditions :-

- i. The college will comply with the suggestions and conditions given in the inspection report of the university within the time limit.
- ii. The College will ensure compliance with the conditions imposed by the Eastern Regional Committee (NCTE), New Delhi.
- iii. The college will ensure compliance with the letter and spirit of the provisions mentioned in the statute issued by the State Government.
- iv. It will be mandatory for the colleges which have not received accreditation by NAAC, to submit the IIQA on NAAC Portal and provide this information to the department through the university within 6 months of the notification of extension of affiliation being issued by the University. In case of non-compliance of the above, the University will initiate the process of canceling the affiliation of such college.
- v. The Department and the University can conduct surprise inspection of the college at any time and if any kind of irregularity is found or the arrangements are not found as per the criteria set by NCTE/State Government/University, action will be taken as per rules to terminate the affiliation.

Letter No. GE/1552, Dated : 20/05/2023 of Registrar, Ranchi University, Ranchi

प्राचाये आबित्व प्रकाश जालान टीचई ट्रेनिंग सॉलेज कुदलुम, राँची-4